बिहार सरकार राज्य योजना

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0 सं0–4 / निदे0–एस0सी0ए0–टी–01 / 2007– 137

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

पटना, दिनांक–28.03.17

विषयः–वित्तीय वर्ष–2016–17 में राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराने हेतु ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 स्वीकृत्यादेश सं0–125 दिनांक–27.03.2017 द्वारा राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराने हेतु मात्र ₹2000.00 लाख (बीस करोड) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदालोक में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण बेतिया को ₹2000.00 लाख (बीस करोड़) मात्र अनुदान के रुप में आवंटित की जाती है।

2– कुल भारित व्यय की राशि राज्य योजना, मांग संख्या–44 के अन्तर्गत आय–व्ययक मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना– उपशीर्ष–0125–थरूहट क्षेत्र विकास–विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा–राज्य योजना स्कीम कोड–SST-5462–विपत्र कोड–P2225027960125 में भारित होंगे।

3– इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वे अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4– योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन जिला स्तर पर गठित समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित राशि के तहत थरूहट क्षेत्र के विकास हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–87 दिनांक–24.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण अन्तर्गत Basic Computer & Data Entry प्रशिक्षण (लैपटॉप के साथ), सिक्युरिटी गार्ड प्रशिक्षण, ड्रेस मेकिंग(सिलाई मशीन के साथ), इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, प्लम्बिंग प्रशिक्षण और मोबाईल मरम्मति प्रशिक्षण, ड्राईविंग प्रशिक्षण, हॉस्पेटिलिटि प्रशिक्षण एवं जीविका अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गौ पालन एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण एवं गौ पालन एवं बकरी पालन की परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी देना, संबंधी योजनाएें ली जायेगी।

5- *कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति का सूत्रण किया जा रहा है एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर क्या होगी तथा किस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, यह समेकित रूप से निर्धारित किया जा रहा ।*

अतः कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण के लिये कर्णांकित राशि का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी तथा दिशा-निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक- 17/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9- सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक-4/निदे0-एस0सी0ए0-टी-01/2007- 137 पटना, दिनांक- 28.03.17

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0-एस0सी0ए0-टी-01/2007- 137 पटना, दिनांक- 28.03.17

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क0), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ प्रशाखा पदा0 1 एवं 6 (डी0)/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 28/3/17

Memo EC Thruat-16-17

5- *कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये श्रम संसाधन विभाग द्वारा पूरे राज्य के लिये राज्य कौशल नीति का सूत्रण किया जा रहा है एवं विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की मानक प्रक्रिया, दर क्या होगी तथा किस एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, यह समेकित रूप से निर्धारित किया जा रहा ।*

अतः कौशल विकास कार्यक्रम/ प्रशिक्षण के लिये कर्णांकित राशि का व्यय श्रम संसाधन विभाग द्वारा चयनित एजेन्सी तथा दिशा-निर्देश प्राप्त कर प्रशिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक- 17/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9- सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक-4/निदे0-एस0सी0ए0-टी-01/2007- 137 पटना, दिनांक- 28.03.12

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0-एस0सी0ए0-टी-01/2007- 137 पटना, दिनांक- 28.03.12

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क0), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव , अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ प्रशाखा पदा0 1 एवं 6 (डी0)/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 28/3/12

Memo EC Thruat-16-17